संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व

महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, संस्कृति भवन, सिविल लाईन्स

रायपुर (छत्तीसगढ)

मैनुअल पद्धति निविदा सूचना

निविदा की शर्तें

निम्नलिखित कार्य के लिये छ.ग., लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' पर मुहरबंद निविदायें छ.ग. लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची एक जनवरी 2015 की दरों पर प्रतिशत आधार पर छ.ग. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक (ए डी) तथा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा या कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है।

मुहरबंद निविदायें समिति के सदस्य एवं उपस्थित निविदाकर्ताओं/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ ठेकेदारी पंजीयन, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, वाणिज्यकर कार्यालय का पंजीयन एवं चुकता प्रमाण पत्र, बैंक साल्वेंसी, इंजीनियर नियोजन पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अनिवार्यतः प्रस्तुत करें एवं मूल प्रमाण पत्रों से मिलान करावें अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित शुल्क जो वापस योग्य नहीं है नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। आवश्यकता होने पर कार्य तथा निविदा सूचना के संबंध में आकस्मिक संशोधन इस कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने पर आगामी कार्य दिवस में निविदा प्रस्तुत एवं खोली जावेगी।

01.निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि **06.06.2017 शाम 5:00 बजे तक।**

02.मुहर बंद निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि **07.06.2017 दोपहर 2:00 बजे तक।**

03.निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक **07.06.2017 दोपहर 03.00 बजे।**

क.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानिक राशि	धरोहर राशि	ठेकेदार की श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र की राशि
1.	पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय, नया रायपुर में मिट्टी प्रदाय हेतु	3,62,000/–	7,300/–	उपयुक्त श्रेणी	कार्यादेश से एक माह	300.00

निविदा की शर्तें :–

1. **धरोहर राशि एफ.डी.आर./बैंक ड्राफ्ट जो कि संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व रायपुर छ.ग. के नाम से देय हो तथा कम से कम छः माह की अवधि का हो जिसे निविदा के साथ अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। बयाने की राशि के अभाव में निविदा बिना खोले वापस कर दी जायेगी।**
2. मुहरबंद निविदा के लिफाफे पर कार्य का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है।
3. ऐसे ठेकेदार जो एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत उपयुक्त श्रेणी में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत हैं, उन्हें ही मान्य किया जावेगा।
4. निविदा दो अलग–अलग लिफाफा पद्वति में प्रस्तुत किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में अमानत राशि तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की दशा में वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोला जावेगा।
5. प्रस्तुत निविदा असंतुलित होने पर निविदा राशि का पांच प्रतिशत अतिरिक्त अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अनुबंध के पूर्व जमा करना होगा।
6. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी संधारित की जावेगी तथा प्रत्येक नियोजित श्रमिक को उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे भुगतान नियमानुसार करना है।
7. ठेकेदार को नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति पंजी/मस्टररोल, वेतन भुगतान पंजी, नियोजन पंजी का संधारण करना है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के साथ–साथ अन्य लाभ जैसे–ओवर टाइम भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, मातृत्व हितलाभ, अवकाश, ई.इस.आई. भविष्य निधि तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी लाभ आदि नियमानुसार देना है।

8. परफार्मेंस गारंटी के रूप में प्रत्येक देयक से पांच प्रतिशत अतिरिक्त सुरक्षा निधि काटी जाएगी जिसे कार्य पूर्ण होने पर बारह माह की बैंक गारंटी में बदला जा सकता है। ठेकेदार चाहे तो अनुबंध के पूर्व अनुबंध राशि की पांच प्रतिशत अतिरिक्त बैंक गारंटी जमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देयक से अतिरिक्त पांच प्रतिशत की राशि की कटौती नही की जावेगी।

9. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को वित्तीय क्षमता प्रमाण पत्र या इसकी सत्यापित प्रतिलिपि जो कि किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक से प्रमाणित हो, जिसका मुख्य निविदा राशि का 15 प्रतिशत होना चाहिए जो आवेदन के दिनांक से 12 माह से अधिक समयावधि का ना हो प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

10. अमानत राशि के साथ सत्यनिष्ठा संधि शपथ पत्र(रू. 50.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प हस्ताक्षरित) प्राप्त नही होने पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा निविदा प्रकिया में शामिल नही किया जावेगा।

11. विभाग द्वारा निविदा प्राप्त फर्म को मिट्टी / मुरूम / मलबा / तालाब मिट्टी प्रदाय की मात्रा हेतु कार्यादेश जारी किया जावेगा। प्रभारी तकनीकि कर्मचारी / अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित निर्देश की सीमा में सामग्री यथा मिट्टी / मुरूम / मलबा / तालाब मिट्टी प्रदाय की जाये अन्यथा तय सीमा से अधिक मात्रा में प्रदाय करने पर भुगतान नही किया जावेगा।

12. किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर रहेगा तथा विवाद की स्थिति में संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर का निर्णय दोनों पक्ष को अनिवार्य रूप से मान्य होगा।

13. किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं त्रुटियुक्त, ओव्हर रायटिंग, अपूर्ण हस्ताक्षरित तथा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त सामान्य शर्त निविदा अनुबंध का भाग है।
(केश शाखा द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र अहर्ता प्राप्त फर्म को मांगे जाने पर जारी करने हेतु)

संचालक
संस्कृति एवं पुरातत्व
रायपुर(छ.ग.)

:: सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन अवशेष राष्ट्र का गौरव है, जिसकी सुरक्षा करना हम सब का नैतिक दायित्व है। ::